अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

352/2016/223 रामेश्वरलाल बगै० V/s अशोक जैन व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2016/00352 श्री G.S. लखावत एड०क्ली श्री रेस्पो० 1, 2 अनुपस्थित	

रामेश्वर लाल बनाम अशोक जैन वगेरह

30/9/19 पत्रावली पेश हुईं। अभिभाषक अपीलांटस उपस्थित। अपील में अभिभाषक अपीलांटस की बहस दिनांक 30.08.2019 को सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम घूघरा तहसील अजमेर में स्थित हैं जो खसरा नम्बर 1240 रकबा 2–17–700 बीघा है। इस भूमि के खातेदार सुजान पुत्र घीसा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादीगण ने यह भूमि 21.08.1991 को क्रय कर कब्जा व दखलं प्राप्त किया तथा वादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 03.10.1991 को स्वीकार किया, इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार होकर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई सरोकार व वास्ता नही है फिर भी जबरन वादी की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया है जिसके लिए वादीगण ने तहसीलदार, अजमरे के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 21.09.2012 का तहसीलदार मय हल्का पटवारी मौके पर आये तथा मौका जॉच की तथा पाया गया कि खसरा नम्बर 1239 जो प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि है उनके द्वारा आगे बढ़ कर खसरा नम्बर 1240 के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया है जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है।, इस कारण प्रतिवादी कोइस भूमि से बेदखल किया जावें तथा मौका पर्चा दिनांक 21.09.2012 के अनुसार जितनी भूमि पर प्रतिवादी ने कब्जा किया हुआ है वहॉ से प्रतिवादी का बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये तत्पश्चात प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे, उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तथा प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया एवं प्रकरण वादी साक्ष्य में नियत करने के पश्चात अधिकांश समय पीठासीन अधिकारी नहीं होने का कथन कर वादी के अभिभाषक ने आवश्यकता होने पर बुलाने का कथन किया। दिनांक 18.03.2016 को अपीलार्थीगण का वाद न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने के कारण अदम पालना में खारिज कर दिया। जिससे असतुष्ट एवं व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांटस ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण के मूल्यवान अधिकार तथा खातेदारी की भूमि बाबत् विवादित बिन्दु पर वाद के जरिये निर्णय किया जाना आवश्यक है अन्यथा अपीलार्थीगण उपचार विहीन होने की स्थिति में है तथा प्रकरण की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने जानबूझ कर कोई लापरवायी नहीं की है, अपितु प्रकरण की परिस्थितियॉ ही इस प्रकार रही है इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर वाद का विचारण किया जाना विधि सम्मत एवं आवश्यक है। अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों के अनुसार अन्दर अवधि में प्रस्तुत है। न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अपील को स्वीकार करते हुए सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के वाद को विधिपूर्ण विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर में प्रतिप्रेषित किया जावें ।

सर्व प्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर आदेश करना उचित समझते है।

अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद मनन अधीनस्थ निरन्तर....

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

352/2016/223 रामेश्वरलाल वगै० बनाम अशोक जैन व अन्य

तारीख पेशी	2016/00352 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री G.S. लखावत, एड० अपी० श्री रेस्पो० 1,2 अनुपस्थित	
निरन्तर....	न्यायालय द्वारा वादी का वाद यह अंकित करते हुए खारिज किया कि दिनांक 25.5.2013 से निरन्तर साक्ष्य वादी हेतु समय देने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं की गई इस कारण वाद अदम पालना में निरस्त किया गया। पत्रावली आदेशिका से स्पष्ट है कि अधिकांश तारीख पेशीयों पर पीठासीन अधिकारी नहीं होने से पेशी तब्दील की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1240 खातेदार सुजान पुत्र घीसा से दिनांक 21.08.1991 को क्रय की है तथा नामान्तकरण संख्या 341 से स्वीकृत होकर खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लेने स वाद बाबत् बेदखली प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार हस्तगत वाद स्थावर सम्पति कृषि से सम्बन्धित है जिसमें पक्षकारों के अचल सम्पति सम्बन्धित अधिकारों का न्याय/निर्णय होना है। तकनीकी आधार पर वाद को खारिज करना न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य पाया जाता है तथा अपील अपीलांट बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये आंशिक स्वीकार जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादी एवं प्रतिवादी प्रत्येक को तीन–तीन अवसर साक्ष्य हेतु प्रदान किये जावें। तीनों अवसरों पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाने पर साक्ष्य पक्षकार बंद समझी जायेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय निर्णय करने में स्वंत्रत होगें।** विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर, शामिल पत्रावली किया गया। 30/9/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	